यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अ धकारी, पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी, पथौरागढ़ के माह 05/2015 से 04/2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 08.05.2017 से 17.05.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री र व शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, एवं श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 15.05.2015 से 26.05.2015 तक श्री डी.एन. मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2013 से 04/2015 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में 05/2015 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा जनपद के अंतर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचा लत व भन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृ त्त, शादी वमारी, अनुसू चत जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसू चत जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास आदि योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण कया जाता है।

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनरा श लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आ धक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आ धक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	107.773	98.929	8.844	5127.72	5090.80	36.92
2015-16	Nil	Nil	127.350	123.032	4.318	4856.63	4357.21	499.42
2016-17	Nil	Nil	121.392	113.286	8.106	3476.75	3253.30	223.45

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

योजना का नाम	**2015-16**			**2016-17**		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
अनुसू चत जाति के दशमोत्तर छात्रवृ त्त	00	19.58	19.57	0.01	173.70	163.70
अनुसू चत जनजाति के दशमोत्तर छात्रवृ त्त	00	30.94	30.93	0.01	10.00	2.09
अन्य पछड़ी जातिया दशमोत्तर छात्रवृ त्त	00	36.46	35.85	0.61	91.00	--
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	00	311.49	311.47	0.02	449.59	449.56
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वकलांग पेंशन योजना	00	26.13	26.11	0.02	27.76	27.726
पारिवारिक लाभ योजना	00	28.00	28.00	--	15.00	15.00
अनु. जनजाति के 9-10 कक्षा की छात्रवृ त्त	00	4.40	4.40	--	--	--

(ii) इकाई को बजट आवंटन निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कयाजाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

स चव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अ धकारी

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अ धकारी, पथौरागढ़ को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण जिला समाज कल्याण अ धकारी, पथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया शादी एवं बीमारी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृ त्त योजना, अनुसू चत जाति बाहुल्य क्षेत्रों सु वधाओं का वकास, गौरा देवी कन्याधन योजना, वकलांग पेंशन योजना आदि का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय जिला समाज कल्याण अ धकारी, पथौरागढ़ के आधर पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 01 निर्माण कार्य की धनराशि रु0 301.40 लाख विगत दो वर्षो से भी अधिक समय से जनपद स्तर पर अवरुद्ध रहने तथा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी निर्माण कार्य पूर्ण न किया जाना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु शासनादेश संख्याः 646/XVII-4/2015-01 (28)/2015 दिनांक 31 मार्च 2015 द्वारा धनराशि रु0 1742.99 लाख का आवंटन 109 कार्यो के निर्माण के लिए प्रदान किया गया था। इन कार्यो में बारात घर, सी0 सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शामिल थे। शासनादेश में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पालन किया जाना प्रावधानित था;

1. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/ब्लाक स्तर के अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में पूर्व में संचालित/स्वीकृत न हो।

2. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी की होगी।

3. कार्यो के सम्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 109 कार्यो में से रु0 95.62 लाख की 06 कार्य ऐसे थे जिनकी धनराशि दो बार स्वीकृत हो गयी थी तथा एक कार्य ग्राम बरम में अनुसूचित जाति बस्ती चामी में बारातघर का निर्माण में आगणन की धनराशि रु0 27.24 लाख के सापेक्ष रु0 27.34 लाख स्वीकृत हो गयी है अर्थात रु0 0.10 लाख अधिक स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त स्वीकृत कार्यो में धनराशि रु0 205.68 लाख से निर्मित होने वाले 20 कार्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में होने कारण निर्माण कार्य सम्पादित किया जाना सम्भव नहीं था। इस प्रकार से उपरोक्त विवरणानुसार 27 निर्माण न किये जाने वाले योजनाओं की धनराशि रु0 301.40 लाख (रु0 95.62 लाख + रु0 0.10 लाख + रु0 205.68 लाख) विगत दो वर्षो से भी अधिक समय से जिलाधिकारी के पी0 एल0 ए0 खाते में अवरुद्ध पडी है। जबकि वित्तीय नियमानुसार इकाई को प्रथम दृष्टया ज्ञात होने पर कि इन कार्यो की धनराशियों को उपयोग नहीं किया जा सकता तो यथाशीघ्र सम्बन्धित धनराशियों को शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था।

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष 83 कार्यो के निर्माण से सम्बन्धित पत्रावलियों की जॉच में पाया गया कि आवंटन के 04 माह उपरान्त अगस्त 2015 में निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु प्रत्येक निर्माण कार्य स्वीकृत लागत की

सम्पूर्ण धनराशि को लेते हुए रु0 1441.59 लाख कुल 08 कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत किया गया। कार्यदायी संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ कार्यादेश जारी किया गया;

1. योजनाओं का कार्य संस्था में कार्यरत तकनीकी कार्मिक की देखरेख में ही किये जाएगें, अन्यथा कोई विषम स्थिति आने पर निर्माणदायी संस्था उत्तरदायी होगी।

2. कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिए तथा कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण स्थल का फोटोग्राफ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. निर्माणाधीन योजनाएं लघु एवं वृहद स्तर की है। लघु स्तर की योजनायें 02 माह के अन्दर तथा वृहद् स्तर की योजनायें 06 माह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।

4. निर्माण कार्य की मासिक प्रगति समय समय पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2012 के प्रस्तर 07 के उप प्रस्तर 07 में प्रावधानित है कि योजनान्तर्गत निर्मित समस्त योजना ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सम्पत्ति होगी तथा इसका अंकन सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निकाय की परिसम्पत्ति पंजिका में की जाएगी साथ ही साथ सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतवार तैयार की गयी परिसम्पत्ति पंजिका में भी की जाएगी।

निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों तथा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन की जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के उपरान्त भी 83 योजनाओं में से लेखापरीक्षा तिथि मई 2017 तक केवल 03 योजनाएं ही पूर्ण किये गये थे जिनके उपयोगिता प्रमाण कार्यालय को प्राप्त हो चुके थे तथा 20 योजनायें 100 प्रतिशत पूर्ण दर्शाये गये परन्तु कार्यालय को उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र मय फोटोग्राफ आतिथि तक प्राप्त नहीं हुए है। 36 योजनायें ऐसी है जिनके सम्बन्ध में कार्यालय को आतिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है अथवा सूचना शून्य दर्शित है। इस प्रकार से इन योजनाओं के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इन योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है अथवा नहीं। शेष 24 योजनाओं की प्रगति वर्तमान में 15 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अंकित है। यह भी पाया गया कि निर्माण कार्यो के लिए कार्यदायी संस्था के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था एवं कार्यालय स्तर पर परिसम्पत्ति पंजिका का रख रखाव भी नहीं किया गया था तथा वर्तमान तक उक्त आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन/निदेशालय को प्रेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के निर्धारित समयावधि में निर्माण किये जाने में तथा योजना के क्रियान्वयन में विभाग पूरी तरह से विफल रहा।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पडने वाले कार्यो का प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा सीधे शासन को प्रेषित किया गया था तथा उससे सम्बन्धित धनराशि को शासन को समर्पित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। शेष योजनाओं के निर्माण को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु सभी कार्यदायी संस्था को पत्र प्रेषित किया जाएगा। धनराशि जनपद स्तर पर

अवरुद्ध रखे जाने के सम्बन्ध में इकाई का उत्तर उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि निर्माण कार्य न होने की स्थिति में अवशेष धनराशि को शासन को यथाशीघ्र समर्पित कर दिया जाना चाहिए था।

अतः धनराशि रु0 301.40 लाख विगत दो वर्षो से भी अधिक समय से जनपद स्तर पर अवरुद्ध रहने तथा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद भी निर्माण कार्य 02 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी पूर्ण न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 02 रु0 1399.29 लाख की धनराशि का अवरोधन तथा 14 अनाधिकृत बैंक खातों के संचालन किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 875(1)/वित्त अनुभाग–3/ 2003–04 दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं पत्र संख्याः 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ की रोकड बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 14 बैंक खातों का संचालन अनाधिकृत रुप से किया जा रहा था, जिसके संचालन के लिए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी था। योजनाओं के अन्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर से आवंटित सम्पूर्ण धनराशि को कोषागार से आहरित कर इन बैंक खातों में रखा जाता है। आगे जॉच में पाया गया कि अधिकतर सभी योजनाओं में आवंटित धनराशि को प्रगति प्रतिवेदनों में सत्प्रतिशत व्यय दर्शाया गया जबकि विगत दो वर्षो में बैंक से प्राप्त किये गये विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में निम्नानुसार धनराशि पडी हुई थी :

(धनराशि ` लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	08/2016 के अन्त में अवशेष धनराशि	03/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि	04/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि
1	State Bank of India	34435616671	22.77	160.04	159.46
2	Bank of India	689510110000203	20.45	18.64	18.49
3	Bank of Baroda	32830100005165	6.07	05.95	04.51
4	Oriental Bank of Commerce	136220110000066	11.27	11.57	11.57
5	ICICI Bank	158905000402	112.61	108.12	108.12
6	Nainital Bank	1000000001284	0.60	0.60	0.60
7	Almora Urban Co-operative Bank	SB/7429	3.48	14.73	9.70
8	Allahabad Bank	50322676221	0.59	0.60	0.60
9	Allahabad Bank	50322675818	7.64	142.20	136.12
10	Uttarakhand Gramin Bank	76004995463	43.23	149.68	125.46
11	Uttarakhand Gramin Bank	76004995441	71.79	863.62	787.79
12	IDBI Bank	0768104000086860	96.50	7.50	7.50
13	IDBI Bank	0768104000032531	31.84	0.63	0.63
14	IDBI Bank	0768104000019479	00	28.74	28.74
	कुल योग		**428.84**	**1512.62**	**1399.29**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि माह 04/2017 के अन्त में भी उक्त सभी बैंक खातों में रु0 1399.29 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी थी। यह भी पाया गया कि इन बैंक खातों से किये जा रहे लेन–देनों के लिए रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा था तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में बैंक खाते में शेष धनराशि का योजनावार शेष का विवरण नहीं बनाया जाता था। जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि बैंक में जमा धनराशि किस योजना की कितनी धनराशि है। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा प्रत्येक योजनाओं के लिए रोकड बही भाग दो का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा था। प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन बैंक खातों के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया जाता। यह भी पाया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को शतप्रतिशत् धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा था जबकि बैंक विवरणी के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनराशि शेष पडी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि शासन को मिथ्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि संचालित सभी बैंक खातों को विशेष प्रयोज्य 02 खातों को छोडकर यथाशीघ्र बन्द कर दिया जाएगा तथा खातों में अप्रयुक्त अवशेष धनराशि विभागीय प्राप्ति मद में तथा अर्जित ब्याज की धनराशि 0049 मद में जमा कर दी जाएगी। अतः रु0 1399.29 लाख की धनराशि का अवरोधन तथा 14 अनाधिकृत बैंक खातों के संचालन सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तरः–3 गौरादेवी योजना के अर्न्तगत 861 लाभार्थियों को रु0 430.50 लाख वितरण न कर लाभ से वचिंत रखने एवं धनराशि बैक में अवरूद्व रखा जाना।

गौरा देबी कन्याधन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित जारी शासनादेश सख्याः 749/XVII-4/2016-01(135) 2013- टी. सी–1 (05/16) के **अनुपालन में** वित्तीय वर्ष 2016–17 से **उक्त** योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को आन लाईन **करने का निर्णय लया गया है।** गौरा देवी कन्या धन योजना **हेतु निम्न पात्रता होनी चाहिए-**

(I) शासनादेश के अनुसार योजना हेतु पात्र गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं 21206/–शहरी क्षेत्र में, से अधिक न हो।

(II) योजना का लाभ केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ही दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत छात्रा के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली केवल अविवाहित छात्रा पात्र होगी तथा उसकी उम्र उस शैक्षिक वर्ष के माह की 01 जूलाई को 25 वर्ष से अधिक न हो।

(III) योजनान्तर्गत ऐसी बालिकाऐं पात्र होगी जो राज्य में स्थित केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (शासकीय/अशासकीय) इण्टर कालेजो से कक्षा–12 उत्तीर्ण हो।

(IV) पूर्णकालिन/अंशकालिन रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु पात्र नही होगी।

(V) एक दम्पत्ति की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

(VI) योजना के अर्न्तगत चयनित प्रति छात्रा रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा ऐसे शासकीय बैक जो सी बी एस माध्यम से जुडे है में छात्रा के नाम से तीन से पाचॅ वर्ष के अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरो के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर बालिका को मूलधन प्रदान किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी **पथौरागढ़** के अनुसूचित जाति वर्ग के वर्ष 2014–15 के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि **सामान्य जाति, अनुसू चत जाति, एवं जनजाति के (1260+541+66) कुल 1867 लाभा थयों को लाभान्वित कया जाना चाहिए था। जिसके लए शासन द्वारा सामान्य जाति, अनुसू चत जाति एवं जनजाति के (668+178+15) के कुल 861 छात्रों के लए रू. 430.50 लाख अवमुक्त कया गया। जो क वभाग द्वारा सम्प्रेक्षा अव ध (04/17) तक धनरा श वभागीय खातें में आहरति कर रखा गया है। परन्तु लाभा थयों को वतरित नहीं कया जा सका था। जब क धनरा श का भुगतान यथाशीघ्र लाभा थयों को कया जाना चाहिए था। शासनादेश (09/2009) में स्पष्ट प्रावधान है क धनरा श वभागीय पी.एल.ए. में जमा कया जाना चाहिए था। बैंक में ऐसी धनरा शयां सामान्यता नहीं रखी जानी चाहिए थी। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं कया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क**

धनरा श का आवंटन शासन स्तर से मार्च माह के अंत में कया जाने के कारण आहरण कर बैंक खाते में रखा गया जिस शीघ्र लाभा र्थयों को भुगतान कया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्यों क समस्त धनरा श आनलाईन लाभा र्थयों के खातें में डाला जाना चाहिए था। जिससे की यथाशीघ्र लाभार्थी योजा का लाभ प्राप्त कर सके। इसके वपरीत इकाई द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर धनरा श बैंक में आहरित कर अवरूद्ध रखा था। यह भी अवगत करना है क रू. 334.00 लाख का आवंटन दिनांक 14.02.2014 को भी कया गया था। अतः यह कहना क आवंटन माह के अंत में कया गया, सत्य नहीं है।

अतः वर्ष 2016-17 में गौरा देवी योजनाके अंतर्गत तीनों श्रेणी के 861 लाभा र्थयों को रू. 430.50 लाख वतरण न कर व चंत रखने एवं धनरा श बैंक में अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 04 बैंक खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 8.92 लाख सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने के साथ धनराशि रु0 29.27 लाख बैंक खाते में अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 99/xxvii(14)/ 2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक खाता संचालित किये जाने को हतोस्ताहित करने के लिए कहा गया है। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि योजना के संचालन के लिए आई डी बी आई बैंक में 02 बचत बैंक खातों का संचालन अनाधिकत रुप से किया जा रहा था जिस पर ब्याज अर्जित हो रहा था। वर्ष 2013–14 से 2016–17 के दौरान संचालित दोनों खातों में कुल रु0 8,92,353/ (रु0 454305 + रु0 438048) ब्याज के रुप में अर्जित हुआ था। जिसे इकाई द्वारा सुसंगत लेखाशीर्षक के प्राप्ति मद 0049 में जमा नहीं किया गया था तथा विगत 03 वर्षो से भी अधिक समय से अवरुद्ध रखा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों खातों में वर्तमान में कुल धनराशि रु0 29.27 लाख (रु0 28.74 लाख + रु0 0. 53 लाख) की धनराशि अवशेष के रुप में पडी थी। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में लाभार्थियों को आन लाइन भुगतान किये जाने का प्रावधान है, इस कारण भी बैंक खाता संचालन का कोई औचित्य नहीं होता।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि बैंक खातों में अर्जित ब्याज का पुनः आकलन कर चालान के माध्यम से प्राप्ति मद में यथाशीघ्र जमा कर दिया जाएगा। अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि दो निर्माण कार्यो से सम्बन्धित द्वितीय किस्त की धनराशि शेष है जिसे शीघ्र ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात सभी धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दिया जाना चाहिए था।

अतः बैंक खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 8.92 लाख सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने के साथ धनराशि रु0 29.27 लाख बैंक खाते में अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 05 धनराशि रु0 76.25 लाख से निर्मित होने वाले महिला जनमिलन केन्द्र का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

शासनादेश संख्या 638/XVII-4/215-19(05)/2014 दिनांक 30 मार्च 2015 के माध्यम से मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 226/2014 डीडीहाट में महिला जनमिलन केन्द्र के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम देहरादून द्वारा गठित आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में सिविल कार्यो हेतु रु0 19.90 लाख तथा अधिप्राप्ति के कार्यो हेतु रु0 56.35 लाख इस प्रकार कुल रु0 76.25 लाख की धनराशि पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी;

1. प्रश्नगत योजना में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी समुचित निरीक्षणोपरान्त यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त योजना अनुसूचित जाति बस्ती/तोक/मजरे से सम्बन्धित है तथा योजना में अनुसूचित जाति के समूह लाभान्वित हो रहे है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा।
3. निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयवद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण किया जाए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उक्त धनराशि को मार्च 2015 में आहरित कर बैंक खाते में रखा गया तथा धनराशि 09 माह कार्यालय स्तर पर अवरुद्ध रखते हुए कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्वाण विभाग, अस्थाई प्रखण्ड, डीडीहाट को दिनांक 28 जनवरी 2016 को निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया। कार्यालय में निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख नहीं पाये गये। इससे लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के साथ कोई अनुबन्ध किया गया था कि नहीं तथा कार्य की भौतिक प्रगति क्या है। इस प्रकार से कार्यालय में कोई अभिलेख नहीं होने तथा कोई जानकारी न होने से मुख्य मंत्री घोषणा मे अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले कार्यो के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाना दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सम्बन्धित योजना की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने के पत्र की प्रति के अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा अन्य सन्दर्भित सभी जानकारी कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध करायी जाएगी।

अतः धनराशि रु0 76.25 लाख से निर्मित होने वाले महिला जनमिलन केन्द्र का निर्माण कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-06- वकलांग पेंशन रू. 5.88 लाख डाकघर को अनिय मत प्रेषण।

वकलांग पेंशन हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो बी.पी.एल श्रेणी के अंतर्गत आते है तथा जिनकी मा सक आय रू. 4000/- से अ धक न हो। एक परिवार में पति पत्नी में से केवल क ही व्यक्ति पेशन का लाभ मलेगा एवं महिला लाभार्थी को प्राथ मकता दी जायेगी। पेंशन का भुगतान प्रतिमाह रू. 1000/- की दर से त्रैमा सक आधार पर भुगतान कया जाता है। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 5137 दिनांक 29 मार्च 2017 केअनुपालन में सभी लाभा र्थयों को धनरा श आनलाईन भुगतान कये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में 3004 लाभार्थी हेतु वकलांग पेंशन हेतु रू. 282.27 लाख अवमुक्त कये गये थे। वर्ष 2016-17 के लए कुल 3583 लाभार्थी हेतु रू. 335.45 लाख अमवुक्त कये गये। कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी पथौरागढ़ के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के वकलांग भरण पोषण से संब धत अ भलेखों की जांच में पाया गया क रू. 5.83 लाख की धनरा श का भुगतान चैक के माध्यम से कया गया है जब क उच्चा धकारी द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे क वत्तीय वर्ष 2016-17 से समस्त धनरा श आनलाईन कया जाये। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं कया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क खाते आनलाईन ने होने के कारण चैक द्वारा भुगतान प्रदान कया गया।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्यों क उच्चा धकारियों द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे क समस्त पेंशन आनलाईन प्रे षत कया जाये जिससे की पेंशन योजना में पारद र्शता लायी जा सके। इकाई का यह दायित्व था क जब तक लाभार्थी के समस्त खाते में आनलाईन न हो जाये तब तक धनरा श प्रे षत न कया जाये। जब क इकाई द्वारा उच्चा धकारियों के दिशानिर्देशों का पालन न कर धनरा श डाकघरों में आफ लाईन ही प्रे षत कया गया।

अतः उच्चा धकारियों की दिशानिर्देशें अवहेलना कर वकलांग पेंशन रू. 5.88 लाख डाकघर को अनिय मत रूप से प्रेषण करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-7- दशमोत्तर छात्रवृ त्त मद में धनरा श रू. 101.61 लाख वतरित न कर शासन को सम र्पत कया जाना, रू. 145.48 लाख लाभा र्थयों को आफलाईन भुगतान कया जाना तथा लाभा र्थयों का बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान प्रदान कया जाना।

भारत सरकार द्वारा **अनुसू चत जाति एवं अन्य पिछडाजाति (OBC)** दशमोंत्तर छात्रवृत्ति विभिन्न कक्षाओं में **अध्ययनरत** विद्यार्थियों के सहायता हेतु छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। यह शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है जो कि उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। जनपद द्वारा मांग के आघार पर राज्य के लिये प्रस्तावित मांग राज्य सरकार के माघ्यम से भारत सरकार को भेजा जाता है।

1. वर्ष 2015–16 में **अन्य पिछडाजाति (OBC)** दशमोत्तर छात्रवृत्ति में जनपद को कुल आवंटित धनराशि रू 36.46 लाख के सापेक्ष रू 35.85 लाख व्यय किया गया रू 0.61 अवशेष रह गया। वर्ष 2016–17 में जनपद को रू 91.00 लाख आंवटित किया गया था जो कि सम्प्रेक्षा अवधि (04/17) तक लाभार्थि को भुगतान नही किया **गया था। वर्ष 2015-16 में अनुसू चत जाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त में जनपद को प्रस्ता वत बजट में से रू. 19.58 लाख की धनरा श आवंटित की गयी थी। शेष धनरा श रू. 173.70 लाख वर्ष 2016-17 में आवंटित कया गया। जिसमें रू. 10 लाख अवशेष रह गया था। इस प्रकार दोनों वर्ष में अनुसू चत जाति एवं अन्य पछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त में जनपद में 5743 लाभा र्थयों को भुगतान से वं चत कर कुल धनरा श रू. 101.61 लाख शासन को सम र्पत कया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर वभाग ने उत्तर में कहा क वभागीय साफ्टवेयर में तकनीकी खराबी होने के कारण धनरा श सम र्पत कया गया था। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं क्यों क योजना का लाभ लाभा र्थयों को अनिवार्य रूप से प्रदान कया जाना चाहिए था।**

2 शासनादेश (07/15) के बिन्दु सख्या 14 के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान आनलाईन किये जाने का प्रावधान था। वर्ष 2015–16 के **अनुसू चत जाति एवं अन्य पछडा वर्ग (OBC) दशमोत्तर** छात्रवृत्ति योजना से सम्बन्धित अभिलेखो की जाचॅ में पाया गया कि **क्रमशः रू. 3.54 लाख एवं** रू 141.94 लाख **कुल धनरा श 145.58 लाख लाभा र्थयों को आन लाईन भुगतान न कर चैक के माध्यम से आफ लाईन भुगतान कया गया था जो क शासनादेश के प्रावधानों का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा है क भ वष्य में अनुपालन कया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आप त्त की स्वतः पुष्टि होती है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।**

3 शासनादेश (07/15) के बिन्दु सख्या 01 के अनुसार छात्रवृत्ति साफटवेयर में उपलब्ध छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का विवरण /डाटा पात्र छात्र द्वारा आनलाईन स्वयं फीड किया जायेगा। इकाई के सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि SEEMANT Institute Technology पिथौरागढ़ द्वारा 01 **अन्य पिछडाजाति (OBC)** दशमोत्तर छात्रवृत्ति के 02 छात्रो को आफ लाईन पंजिकरण करावाया गया, जो कि दिशानिर्देशो की शर्तो का उल्लधन था **आगे जांच में पाया गया क कार्यालय द्वारा उक्त 03 छात्र को छात्रवृ त्त के रूप में रू. 1.83 लाख का भुगतान प्रदान कया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क भ वष्य में अनुपालन कया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आप त्त की स्वतः पुष्टि होती है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।**

4 भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति के भुगतान से पूर्व लाभार्थियों के माता/पिता के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत छात्र का बोनाफाइड प्रमाण पत्र आदि सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान में जाकर भौतिक रुप में सत्यापित करते हुए जॉच रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करेगा। तद्उपरान्त भुगतान प्रदान किया जाएगा।

अनुसू चत जाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त संबं धत अ भलेखों की जांच में पाया गया क वर्ष 2015-16 में 783 एवं 2016-17 में 3500 लाभा र्थयों को लाभान्वित कया गया था। जब क उन लाभा र्थयों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन नहीं कया गया। जो क दिशानिर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है। इकाई ने उत्तर में कहा क भ वष्य में शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान कया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आप त्त की स्वतः पुष्टि होती है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

5 **कार्यालय के अनुसू चत जाति दशमोत्तर छात्रवृ त्त संबं धत अ भलेखों की जांच में यह पाया गया क वगत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक भुगतान की गयी छात्रवृ त्त बैंक/शक्षण संस्थान द्वारा अ वतरित होने पर इकाई को वापस कया गया था। जिसकी कुल धनरा श रू. 12.09 लाख थी। जो क शासन को सम र्पत कया जाना चाहिए था परन्तु वर्तमान तक नहीं कया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने उत्तर में कहा क बैंक खातें का मलान कर अवशेष धनरा श नियमानुसार चालान द्वारा जमा कर दिया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आप त्त की स्वतः पुष्टि होती है।**

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 08 वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का आकलन न किया जाना, लाभार्थियों का नियमित सत्यापन न किया जाना तथा लाभार्थियों को आनलाइन भुगतान न किया जाना।

जनपद में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पुरुष अथवा महिला को वृद्धावस्था पेंशन राज्य एवं केन्द्र द्वारा सम्मिलित रुप से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी **स्रोतों** से मासिक आय न्यूनतम रु. 4000 से अधिक न हो तथा वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुत्र की भी आय का कोई साधन न हो। ऐसे पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में रु. 1000 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किया जाता है। पेंशन की राशि का भुगतान त्रैमासिक रुप से अर्थात जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च माह में किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन नियमावली 1981 के नियम 30 (2) के अनुसार पेंशनरों का छमाही भौतिक सत्यापन किया जाएगा कि पेंशनर जीवित है अथवा नहीं।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ के पेंशन से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान योजना के संचालन में निम्नलिखित कमियॉ प्रकाश में आयी;

1. कार्यालय द्वारा प्रस्तुत वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बन्धित प्रगति प्रतिवेदन तथा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः धनराशि रु0 1799.05 लाख एवं रु. 2292.86 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था तथा उक्त वर्षो में सभी आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने के उपरान्त रु0 0.19 लाख का समर्पण किया गया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक/पोष्ट आफिस द्वारा देयक प्रेषित किये जाने के उपरान्त खाते गलत होने पर अथवा अन्य किसी कारण से धनराशि वितरित न होने पर कुछ लाभार्थियों के पेंशन की धनराशि कार्यालय में वापस प्राप्त होती है। उक्त वापसी की धनराशि को कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न खातों में जमा किया जाता है। कार्यालय द्वारा पेंशन योजना के सम्बन्ध में भाग दो पंजिका तथा अलग लेजर का रख रखाव नहीं किये जाने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि लेखापरीक्षा अवधि में इस प्रकार से कितनी धनराशि वापस प्राप्त की गयी।
2. अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों का विधिवत सत्यापन प्रत्येक छःमाही में नहीं किया जा रहा था परिणामस्वरुप यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि पेंशन के रुप में निर्गत की जा रही धनराशि वास्तविक रुप से पात्र जीवित लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है या नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अभिलेख विद्यमान नहीं था जो यह सुनिश्चित कर सके कि त्रैमासिक भुगतान किए जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना तिथि सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। प्रत्येक छःमाही में विधिवत सत्यापन किए जाने के सम्बन्ध में पाया गया कि माह फरवरी 2014 में सभी विकास खण्डों में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं विकलांग पेंशन के लाभार्थियों के सम्बन्ध में सम्मिलित रुप से 'सभी लाभार्थियों का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है' का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। जबकि प्रत्येक लाभार्थी के सम्बन्ध में एक प्रारुप पर

अलग अलग सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा मृत्यु एवं अपात्र की स्थिति में मृत्यु एवं अपात्र होने का दिनांक भी अंकित होना चाहिए था। माह जनवरी/फरवरी 2017 में आधार संख्या फीड करने के लिए किये अभियान के फलस्वरुप जनपद के 04 विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा अपात्र एवं मृत लाभार्थियों की सूची प्रेषित की गयी। जिसमें 844 लाभार्थियों को मृत दर्शाया गया है परन्तु मृत्यु का दिनांक तथा अपात्र होने का दिनांक अंकित नहीं था। इस प्रकार से लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि जनपद के सभी लाभार्थियों को वास्तव में भौतिक रुप से सत्यापित किया गया था अथवा नहीं। इससे विदित है कि योजना के अन्तर्गत प्रदत्त की गई धनराशि ऐसे लाभार्थियों को भी दी गई थी जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी या अपात्र थे। यदि प्रत्येक छःमाही में विधिवत सत्यापन किया जाता तो उक्त विसंगति से बचा जा सकता था। मृत्यु की वास्तविक तिथि ज्ञात न होने के कारण लेखापरीक्षा में मृत्यु उपरान्त किए गये भुगतान का आंकलन नहीं किया जा सका।

3. यह भी पाया गया कि पेंशन योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर संचालित बैंक खातें में रखा जाता है तद्उपरान्त लाभार्थियों के पोष्ट आफिस एवं बैंक में खोले गये खातों में चेक के माध्यम से आफलाइन भुगतान प्रदान किया जाता है। जबकि नियमानुसार प्रत्येक लाभार्थी के सी0 बी0 एस0 खाता प्राप्त कर कोषागार से सीधे आनलाईन भुगतान प्रदान किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा के दौरान पेंशन योजना के अन्तर्गत वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी के सम्बन्ध में प्रारुप जारी कर जानकारी मॉगी गयी थी परन्तु कार्यालय द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना से सम्बन्धित भाग दो पंजिका तथा अलग लेजर का रख रखाव नहीं किये जाने से कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि योजनान्तर्गत संचालित वैंक खातों में कितनी धनराशि वर्ष 2015–16 के पूर्व से अवशेष है, वर्ष के दौरान अन्य प्राप्ति जैसे वापसी की धनराशि तथा वर्तमान में कितनी धनराशि अवशेष के रुप में पडी है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि का सही आकलन कर अप्रयुक्त धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा तथा सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी। लाभार्थियों के सत्यापन के सम्बन्ध में अवगत कराया कि फील्ड कार्मिकों के कमी के कारण नियमित रुप से लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित नहीं हो पाता तथा भविष्य में नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। यह भी अवगत कराया कि योजना हेतु यथाशीघ्र ग्रान्ट पंजिका बनायी जाएगी तथा उपलब्ध धनराशि की सही जानकारी का आकलन करते हुए सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी जाएगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
171	2004-05	01	01,02	शून्य
104	2007-06	01,02	01,02,03,04,05	शून्य
108	2012-13	शून्य	01,02,03	शून्य
26	2015-16	01	01,02,03,04	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त व र्णत अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई ने अवगत कराया क वर्तमान में अनुपालन आख्या तैयार नहीं है जिससे यथाशीघ्र तैयार कर उच्च अ धकारियों की संस्तुति के साथ उ चत माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रे षत कर दिया जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अ धकारी, पथौरागढ़ तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एन.एस. गस्याल	जिला समाज कल्याण अ धकारी
2.	श्री पी.बी. संह	जिला समाज कल्याण अ धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला समाज कल्याण अ धकारी, पथौरागढ़ को इस आशय से प्रे षत की गई, क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
(सामाजिक क्षेत्र)